निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 वैशाख 1937 (शo)

(सं0 पटना 532) पटना, मंगलवार, 5 मई 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 अप्रील 2015

सं0 वि०स०वि०-09/2015-2050/वि०स० ।—''बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन विधेयक, 2015'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 21 अप्रील, 2015 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विघान-सभा के आदेश से,

हरेराम मुखिया,

प्रभारी सचिव ।

बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन विधेयक, 2015

[वि०स०वि०-08/2015]

राष्ट्रपति शासन काल में संसद से पारित बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) अधिनियमों को निरसित करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना। – चूँकि, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा बिहार राज्य सरकार से भारत संविधान के अनुच्छेद 357 (2) के अधीन यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति शासन काल में वर्ष 1980, 1995 एवं 2005 में बनाये गये बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (21, 1980), बिहार विनियोग अधिनियम, 1980 (22, 1980), बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1995 (16, 1995), बिहार विनियोग अधिनियम, 1995 (17, 1995), बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2005 (12, 2005), बिहार विनियोग अधिनियम, 2005 (13, 2005) एवं बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम न०–2, 2005 (33, 2005) को निरसित कर दिया जाय क्योंकि अब इन अधिनियमों को बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है;

इसलिए अब भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।– (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. निरसन एवं व्यावृति ।– (1) इस अधिनियम से निम्नलिखित अधिनियमों को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(I) बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (संख्या 21, 1980),

(II) बिहार विनियोग अधिनियम, 1980 (संख्या 22, 1980),

(III) बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1995 (संख्या 16, 1995),

(IV) बिहार विनियोग अधिनियम, 1995(संख्या 17, 1995),

(V) बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2005 (संख्या 12, 2005),

(VI) बिहार विनियोग अधिनियम, 2005 (संख्या 13, 2005),

(VII) बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम न०–2, 2005 (संख्या 33, 2005) ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस धारा की उप–धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियमों द्वारा अथवा के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में आरंभ की गयी कोई कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी तब तक जारी रहेगा, जब तक की गयी कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी की समाप्ति न हो जाय, मानों प्रश्नगत अधिनियम निरसित नहीं किया गया है ।

उद्देश्य एवं हेतु

भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा बिहार राज्य सरकार को पत्र भेजते हुए यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति शासन काल में वर्ष 1980, 1995 एवं 2005 में बनाये गये बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (21, 1980), बिहार विनियोग अधिनियम, 1980 (22, 1980), बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1995 (16, 1995), बिहार विनियोग अधिनियम, 1995 (17, 1995), बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2005 (12, 2005), बिहार विनियोग अधिनियम, 2005 (13, 2005) एवं बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम न० 2, 2005 (33, 2005) को निरसित कर दिया जाय क्योंकि अब इन अधिनियमों को बनाये रखने की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन हेतु बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियमों एवं बिहार विनियोग अधिनियमों को निरसित करना ही विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही विधेयक का अभीष्ट है।

(बिजेन्द्र प्रसाद यादव)
भार साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक 21.04.2015

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 532-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in